

**Duplicate Copy**

13-Oct-2017

**आदेश**तिथि  
Aug 29 2017आदेश पर की  
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा गोबरघुसी थाना पटमदा

खाता	प्लॉट	रकबा
303	1172	0 एकड़, 16 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री हिरण्यमय मुखर्जी	पिता	स्व0 महादेव मुखर्जी

हैं जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 1834 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
सुधारानी मुखर्जी	पति	महादेव मुखर्जी

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदनानुसार नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान **2रुपये** अलावे सेस के साथ नामान्तरण **स्वीकृत** किया जाता है। शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है। ह0 कर्मचारी पंजी II में आवश्यक संशोधन के पश्चात एक प्रति कार्यालय में वापस करें।

Digitally Signed by : BIJAY SINGH BIRUA  
अंचलाधिकारी पटमदा

